



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. 312/का.प्र./2023

भोपाल दिनांक 01/02/23

॥ सार्वजनिक विज्ञप्ति ॥

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के
नियम 13 (2) के अन्तर्गत

सर्वसाधारण जनता की जानकारी के लिए इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है

कि श्री/अध्यक्ष/ मेसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा पार्टनर 1) श्री अजय मोहगावकर आत्मज श्री एस.डब्ल्यू. मोहगावकर, 2) प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा एवं भूमि स्वामी 1) श्री शकील अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 2) श्री राशिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 3) श्री शाहिद अहमद आत्मज श्री जमील अहमद, 4) श्री रईस इकबाल आत्मज श्री जमील अहमद, 5) डॉ. कमर सुल्ताना पुत्री श्री जमील अहमद, 6) मुसम्मात फरहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 7) मुसम्मात मेहरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 8) मुसम्मात रेहाना पुत्री श्री जमील अहमद, 9) मुसम्मात बदरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद, 10) मुसम्मात फखरून निशा पुत्री श्री जमील अहमद में से प्रथम पक्षकार क्रमांक-06 से 10 की ओर से द्वारा मुख्याराम मेसर्स प्रियदर्शिनी कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराईटर श्री प्रदीप शर्मा आत्मज स्व. श्री जी.एस. शर्मा द्वारा ग्राम मिसरोद स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1/1, 62/1/10, 61, 3761, 377/61/2/1/अ, 62/1/2, 62/1/3, 62/1/4, 62/1/5, 62/1/6, 61, 377/61/2/1/च, 62/1/7, 61, 377/61/2/1/छ, 62/1/8, 62/1/9, 61, 377/61/2/1/झ कुल रकबा 1.46 हेक्टे. पर भोपाल नगर पालिका निगम क्षेत्र के अधीन भूखण्ड धारक होकर क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी "A.P.ENCLAVE" निर्मित करने जा रहे हैं के द्वारा कुल बंधक किया गया भूखण्डों का क्षेत्रफल 1922.61 व.मी., नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक-BPLLP010622556 दिनांक 28/08/2022 में दर्शित भूखण्ड क्रमांक-ए-07, ए-08, ए-09, ए-10 प्रत्येक का क्षेत्रफल-151.20 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-बी-09, बी-10, बी-11, बी-12, बी-13 प्रत्येक का क्षेत्रफल-125.50 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-जी-01, जी-02 प्रत्येक का क्षेत्रफल-78.08 व.मी., भूखण्ड क्रमांक-डी-01, डी-02, डी-03, डी-04, डी-05 प्रत्येक का क्षेत्रफल-106.83 व.मी., इस प्रकार कुल 16 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 1922.61 व.मी., नगर निगम, भोपाल के पक्ष में बन्धक रखे गये हैं। ये भूखण्ड इस क्षेत्र की कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार बंधक मुक्त किये जावेगे तथा इसी के पश्चात् इन भूखण्ड का विक्रय किया जा सकेगा।

अतः सर्व साधारण इन भूखण्डों के संबंध में न तो अनुबंध करें न ही किसी भी प्रकार के विक्रय, बंधक तथा अन्तरण की कोई कार्यवाही करें अन्यथा वह निरस्त मानी जावेगी अतः सूचित हो।

मुख्य नगर नियेक्षक
सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर नियेक्षक
नगर पालिक निगम, भोपाल